



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167754

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27922 वर्ष 2026

शैलेंद्र कुमार सिंह

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्तागण

: शशि प्रकाश राय, शिवा सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता कर रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सगीर अहमद तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शशि प्रकाश राय एवं श्री शिवा सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 61 वर्ष 2026, धारा 103(1), 351(3) बी.एन.एस., थाना सुखपुरा, जनपद बलिया में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद है, किंतु यह स्वीकार किया गया है कि मामले का सूचनादाता प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और इससे परिलक्षित होता है कि मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों के नाम बताए थे, इसलिए सूचनादाता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम दर्ज किया, किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए संपूर्ण आरोप पूर्णतः झूठे हैं।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं आवेदक के सी.डी.आर. के माध्यम से यह पाया गया कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और किसी अन्य स्थान पर था। इसलिए उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया, किंतु संज्ञान लेते समय संबंधित न्यायालय ने साक्षियों के बयानों के आधार पर आवेदक को भी समन कर लिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक को समन करते समय संबंधित न्यायालय ने आवेदक की सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं सी.डी.आर. पर विचार नहीं किया।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त दोनों इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के परिशीलन से प्रथम दृष्टया आवेदक निर्दोष प्रतीत होता है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि विवेचना के दौरान विवेचक ने कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयान भी दर्ज किए और उन्होंने भी आवेदक का नाम बताया, किंतु चूंकि सूचनादाता पहले ही आवेदक का नाम बता चुका था,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इसलिए उन्होंने भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन को ही दोहराना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक ने कथित अपराध में कभी भाग नहीं लिया।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन के अनुसार भी कुल पांच व्यक्तियों ने मृतक पर हमला किया, किंतु मृतक को केवल चार चोटें आईं और चार चोटों में से दो साधारण थीं तथा शरीर के गैर-महत्वपूर्ण अंगों पर थीं। यह तथ्य पुनः दर्शाता है कि आवेदक निर्दोष है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने भी सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 25.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।

9. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

11. तथापि, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार आवेदक ने अन्य व्यक्तियों के साथ, जिनकी कुल संख्या पांच थी, चोटें कारित करके मृतक की हत्या की, किंतु यह स्वीकार किया गया है कि मामले का सूचनादाता प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और उसके अनुसार मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों के नाम बताए थे, इसलिए उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम दर्ज किया।

12. अभिलेख से आगे यह भी प्रतीत होता है कि विवेचना के दौरान विवेचक ने कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयान भी दर्ज किए और उन्होंने भी कहा कि आवेदक ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मारपीट की। अतः यह परिलक्षित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होता है कि उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन को ही दोहराया, किंतु उनके बयानों से यह परिलक्षित होता है कि उन्होंने सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी है।

13. आगे, विवेचना के दौरान सी.डी.आर. एवं सी.सी.टी.वी. फुटेज से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक किसी अन्य स्थान पर था, इसलिए उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया, किंतु संज्ञान लेते समय संबंधित न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों के आधार पर आवेदक को समन कर लिया। इससे परिलक्षित होता है कि आवेदक को समन करते समय संबंधित न्यायालय ने सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं उसके सी.डी.आर. पर विचार नहीं किया।

14. सी.सी.टी.वी. फुटेज, सी.डी.आर. तथा विवेचक के अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक भी मृतक पर उसके तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा किए गए कथित हमले में संलिप्त था, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि सभी कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने भी सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी है।

15. आगे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम सूचनादाता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में पहले ही बताया जा चुका था, आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को, कि केवल इसी कारण बाद में जब प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयान दर्ज किए गए तो उन्होंने आवेदक के विरुद्ध आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया तथा सी.डी.आर. एवं सी.सी.टी.वी. फुटेज के आलोक में आवेदक के संबंध में साक्षियों के बयान प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होते हैं, नकारा नहीं जा सकता।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. आगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह परिलक्षित होता है कि मृतक को चार चोटें आई थीं, किंतु उनमें से दो चोटें मामूली थीं और शरीर के गैर-महत्वपूर्ण अंग पर थीं तथा अभिलेख पर

ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि शेष दो चोटें, जो महत्वपूर्ण अंग अर्थात् सिर पर थीं, आवेदक द्वारा कारित की गई थीं, क्योंकि सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।

17. आगे, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 25.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।

18. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

19. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

20. आवेदक-**शैलेंद्र कुमार सिंह** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

21. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11 अगस्त, 2026

ए.के. पांडेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”